JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वित्तीय समावेशन में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के प्रभाव का एक आनुभाविक अध्ययन

मुकेश कुमार
शोधाथी, व्यवासाय प्रबंधन विभाग,
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना
असि0 प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नाकोत्तर महाविद्यालय,कर्वी,चित्रकूट
डॉ0 विजय सिंह परिहार
एसोसिएट प्रोफेसर, व्यवासाय प्रबंधन विभाग,
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना

सांरास

किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार; उस देश का बुनियादी ढाँचा होता है। यदि बुनियादी ढाँचा ही कमजोर हो तो कितना भी प्रयास किया जाए व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जा सकता। यही कारण है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विकास एवं उन्नति हेतु किये जाने वाले प्रयासों को बल प्रदान करने के लिये नीति निर्माताओं द्वारा एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जाता है जिसके माध्यम से सरकार आम आदमी को अर्थव्यवस्था के औपचारिक माध्यम में शामिल कर सके। वस्तुतः यही कारण है कि वित्तीय समावेशन के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध किया जा सके। कोई भी व्यक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहे। इसके तहत देश के प्रत्येक नागरिक को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा इसलिये किया जाता है, ताकि गरीब आदमी को बचत करने के साथ–साथ विभिन्न वित्तीय उत्पादों में सुरक्षित निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके। वित्तीय समावेशन के द्वारा पहुँच बिना किसी रुकावट के विकास को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा डिजिटल भारत अभियान प्रारंभ किया गया। भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की नींव रखी गई।
इस शोध पत्र में वित्तीय समावेशन की आवश्यकताओं, उसके अभाव में उत्पन्न चुनौतियाँ तथा वित्तीय समावेशन से होने वाले लाभ और इस दिशा में सरकार के द्वारा किये गए प्रयासों का अध्ययन किया गया है।

झमलूवतकेः–वित्तीय समावेशन, मुद्रा योजना, वित्तिय संसथाएँ, साख सृजन एवं रोजगार

1.1 प्रस्तावनाः–

वित्तीय समावेशन से आशय ऐसी व्यवस्था से है जहां समाज का सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति भी अपनी सुविधानुसार बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्राप्त कर सके और देश की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़कर आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान दे सके। सुदृढ़ और सक्षम वित्तीय सेवाओं तक पहुंच से ही व्यक्ति आर्थिक व सामाजिक तौर पर समर्थ और सशक्त बन सकता है और देश की तरक्की में साझीदार बन सकता है। हालांकि वित्तीय समावेशन की अवधारणा सिर्फ बैंक में खाता खुलने तक सीमित नहीं है बल्कि पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा भी इसमें समाहित हैं। अगर किसी व्यक्ति का बैंक खाता खुल जाए लेकिन वह न तो उसका इस्तेमाल करे और न ही उसे पेंशन या बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा हो तो उसे 'वित्तीय समावेशन' नहीं कहा जा सकता। भारत में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की शुरुआत तो नब्बे के दशक में शुरू हो गई थी, लेकिन वित्तीय समावेशन की ओर सरकार का ध्यान पिछले दशक के उत्तरार्ध में गया। जून 2006 में सरकार ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ0 सी. रंगराजन की अध्यक्षता मे वित्तीय समावेशन पर एक समिति गठित की जिसने पहली बार भारत में इस विषय पर विषद चिंतन करते हुए अपनी सिफारिशें दी। रंगराजन समिति ने वित्तीय समावेशन को परिभाषित भी किया। समिति ने कहा, ''वित्तीय समावेशन निम्न आय समूहों और कमजोर वर्गों को जरूरत के अनुसार समयानुकूल वहन योग्य लागत पर पर्याप्त ऋण और वित्तीय सेवाएं सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है।'' समिति ने वित्तीय समावेशन के काम को 'मिशन मोड' (एक अभियान चलाकर) पर पूरा करने की सिफारिश की। हालांकि तत्कालीन सरकार के छिटपुट प्रयासों के अलावा कोई बड़ी पहल इस दिशा मे नही की गयी। सरकार ने फरवरी 2011 में 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों एवं बस्तियों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए 'स्वाभिमान' नाम से वित्तीय समावेशन कार्यक्रम शुरू किया। सरकार ने इस कार्यक्रम पर पहले वर्ष 50 करोड़ रुपये भी खर्च किए लेकिन इसके कुछ खास परिणाम नजर नहीं आए।

1.2 'वित्तीय समावेशन'

वित्तीय समावेशन' की अवधारणा अधिक पुरानी नहीं है। 21वीं सदी की शुरुआत में वैश्विक नीति–निर्माताओं का ध्यान इस ओर गया। पहली बार व्यापक–स्तर पर इसका विचार मैक्सिको के शहर मोंटेरे में आयोजित संयुक्त राष्टं के '**फाइनेंसिग फॉर डेवलपमेंट**' सम्मेलन में आया जिसे 'मोंटेरे कंसेंसस' के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में वित्तीय समावेशन विशेषकर विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस सम्मेलन में कहा गया कि वैश्वीकरण और विकास की प्रक्रिया समावेशी होनी चाहिए। सभी देशों ने महसूस किया कि वित्तीय समावेशन के बिना विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाना संभव नहीं है। इस सम्मेलन के बाद ही संयुक्त राष्टं ने वर्ष 2005 को "अंतर्राष्टीय सूक्ष्म वित्तवर्ष" के तौर पर घोषित कर सभी देशों के समक्ष एक सवाल खड़ा किया–"बैंकिंग तंत्र से जुड़ने योग्य बड़ी संख्या में लोग बैंकिंग सुविधा से वंचित क्यों हैं?" इसके बाद ही विश्व का ध्यान इस मुद्दे की ओर गया। हालांकि दशक भर पूर्व शुरू हुई इस पहल के बाद भी वर्ष 2014 में विश्व में 2 अरब लोग बैंकिंग की सुविधा से वंचित थे। आश्चर्य की बात नहीं कि उस समय ऐसे लोगों की बड़ी संख्या भारत में थी। "वित्तीय समावेशन को यदि मोटे तौर पर परिभाषित किया जाए तो वह विविध प्रकार की वित्तीय सेवाओं तक कम लागत पर सभी को पहुंच प्रदान करता है । इसमें न केवल बैंकिंग उत्पाद बल्कि अन्य वित्तीय सेवाएं जैसे बीमा और ईक्विटी उत्पाद भी शामिल है, डॉ0 रघुराम राजन[1]

[1] Raghu ram rajan, I do What I do 2020

1.3 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का परिचय–: प्रधान मंत्री मुद्रा ;डपबतव न्दपजे क्मअमसवचउमदज त्मपिदंदबम ।हमदबल.डन्क्त।द्धय यह एक गैर–कार्पोरेट, गैर–कृषि लघु उद्यमों को 10 लाख तक के ऋणों का आसान शर्तो पर प्रदान करने की एक योजना है। केन्द्र सरकार द्वारा 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरूआत की गई है। इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए गए हैं। उधारकर्ता ऊपर उल्लिखित किसी भी ऋण देने वाले संस्थान से संपर्क कर सकता है या इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पीएमएमवाई के तत्वावधान के तहत, मुद्रा ने लाभार्थी माइक्रो यूनिट उद्यमी की विकास विकास और वित्त पोषण की जरूरतों के स्तर को दर्शाते हुए **'शिशु', 'किशोर' और 'तरुण' के लिए तीन उत्पादों का निर्माण किया है।** सूक्ष्म उद्यम हमारे देश में एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र का निमार्ण करते हैं, और कृषि के बाद दुसरा सबसे अधिक रोजगार के साधन मुहैया करते हैं।[2]

प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार और मोबाइल (जैम) से वित्तीय समावेशन हेतु सृजित अनकुल प्राथमिक पारितंत्र के साथ आर्थिक इंजन को आगे बढ़ाने के लिए जिस अगले महत्त्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है, वह है "मुद्रा"। गैर निगमित सूक्ष्म व्यवसाय से संबंधित बड़ी संख्या में लगभग 5.77 करोड़ सूक्ष्म इकाइयां जिसमें 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है और जो कम से इससे पाँच गुना लोगों के जीवन यापन में सहयोग करती है; यह, मात्र जीवन–निर्वाह योग्य कीमत पर काम कर रही है। इनमें से अधिकतर उद्यमी आर्थिक रूप से कमजोर समाज से आते है, जिनको औपचारिक स्रोतों से अचल अस्तियों के लिए अथवा कार्यशील पूंजी के लिए ऋण नहीं मिल पाता। मद्रा का मुख्य उद्देश्य निधियों से वचिंत ऐसे उद्यमियों का निधीयन है जिसके लिए मुद्रा पुनर्वित्त के जरिए सहायता उपलब्ध कराता है तथा ऐसी गतिविधियों के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाले को तथा ऐसे ऋणदाताओं को ऋण गारंटी कवर उपलब्ध कराना है।

यह शायद दुनिया के सबसे बड़े असंतुष्ट व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक है। यह लगभग 50 करोड़ लागो के जीवन निर्वाह का साधन है। इस क्षेत्र में छोटी विनिर्माण इकाइयों, दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं, ट्रक और टैक्सी ऑपरेटरों, खाद्य–सेवा इकाइयों, मरम्मत की दुकानों, मशीन ऑपरेटरों, छोटे उद्योगों, कारीगरों, खाद्य प्रोसेसर, सड़कों पर विक्री करने वालो और कई अन्य शामिल हैं। औपचारिक या संस्थागत संस्थाएँ उन्हें पूरा करने में सक्षम नहीं है। इस क्षेत्र की अपनी वित्तीय आवश्यकताएं। वे या तो स्ववित्तपोषित है या व्यक्तिगत नेटवर्क या साहूकारों पर निर्भर। इस क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं को पुरा करने से अर्थव्यवस्था मे विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा। अन्यथा यह क्षेत्र अप्रभावित रहेगा जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादक श्रम बल का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार रहेगा। इसका ताजा उदाहरण बैश्विक महामारी (कोविड) के कारण उतपन्न चुनौतियों के रूप मे देखा जा सकता है।

[2] www. Mudra. Org.in

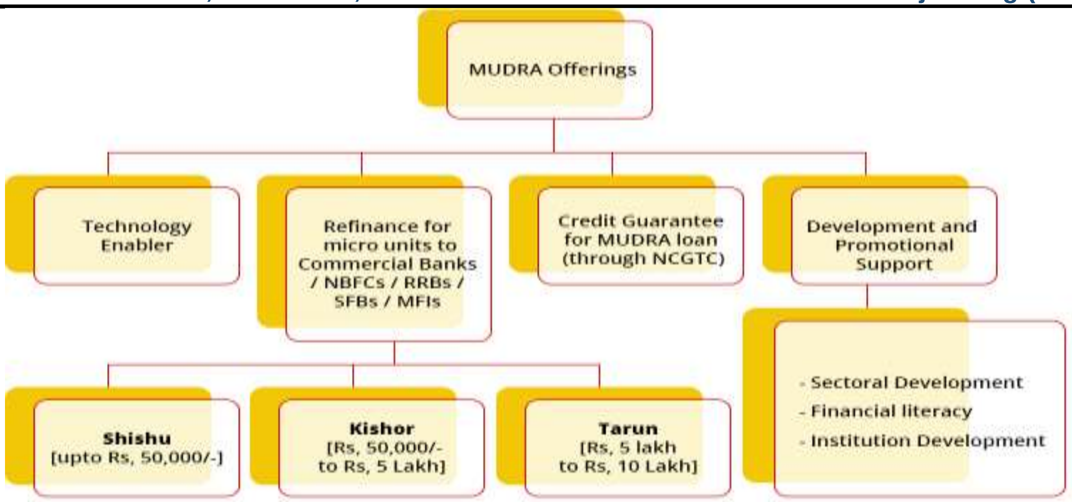

1.4 मुद्रा योजना का उद्देश्य–: मुद्रा योजना का उद्देश्य निम्नवत है–

- स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना।
- छोटे उद्यमों के जरिए रोजगार का सृजन करना।
- सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और सूक्ष्म वित्त प्रणाली के नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना।
- सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (डथ्प्द्ध और छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स, स्वयं सहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त एवं उधार की गतिविधियों में सहयोग देना।
- सूक्ष्य व्यवसायों को दिए जाने वाले कर्ज के लिए गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाना।
- वितरित की गई पूंजी की निगरानी, कर्ज लेने और देने की प्रक्रिया में मदद के लिए उचित तकनीक मुहैया कराना।
- छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को प्रभावी ढंग से छोटे कर्ज मुहैया कराने की प्रभावी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपयुक्त ढांचा तैयार करना।

1.5 साहित्य की समीक्षा –

1. अग्रवाल और द्विवेदी (2017)[2] ने अपने शोध में यह दिखाया है कि मुद्रा जैसी वित्तीय योजनाएं ऋण आवश्यकताओं को पुनर्वित्त जैसी अनेक विकल्पों को प्रोत्साहित करती हैं। मुद्रा जैसी अनेक ऋण योजनाओ को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर प्रयास करने की आवश्यकता हैं। इस प्रकार के ऋणो से न केवल छोटे व मध्यम उद्योगो के विकास को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि इससे बडे पैमान पर रोजगार व स्वरोजगार पैदा करके आम लोगो को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते है।

2. जॉर्ज और नलिनी (2018)[3] के निष्कर्षों के अनुसार, भारत में मध्यम और छोटे व्यवसाय आर्थिक विकास में योगदान करते है। इसे प्रोत्साहित और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान छोटे व मध्यम उद्यमों का समर्थन करने के लिए अनेक सस्ती ऋण परक योजनाओं की शुरूआत की है। उन्होंने अपने अध्ययन मे पाया कि भारत में सूक्ष्म, मध्यम और लघु व्यवसाय इकाइयों को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में शुरू की गई मुद्रा योजना एक प्रमुख योजना है। इस प्रकार की योजनाओं से देश मे कुशल श्रमिकों और शिक्षित युवाओं को रोजगार उपलल्ध कारके उनको आत्मनिर्भर बनाती है। इस प्रकार आसान शर्तो पर उपलब्ध वित्तीय सुविधाओं से न केवल क्षेत्र विशेष के विकास को प्रोत्साहिन मिलता है बल्कि अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने में मदद

करती हैं। इस पकार मुद्रा योजना कुटिर, लधु व मध्यम व्यवसायिक ईकाइयों को प्रोत्साहित करके देश के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं।

3. शाहिद और इरशाद (2016)[4] के अनुसार पीएमएमवाई मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रम एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं, जो बदले में ''मेक इन इंडिया'' स्टॅाटप योजना व आत्मनिर्भता जैसे कार्यक्रमो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह योजना सूक्ष्म, मध्यम और लघु व्यवसायिक इकाइयों के लिए भी फायदेमंद है इससे न केवल स्वरोजगार को बढ़ावा देती है बल्कि क्षेत्र का विकास को भी सुनिश्चित करती है। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में उद्योगो का विकास हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पूरी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ।

4. महाजन (2018)[5] का उद्देश्य छोटे व्यवसायों और उद्यमियों पर रणनीति के प्रभाव को निर्धारित करना है। यह अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। इससे वंचितों तथा समाज के कमजोर वर्गो का आर्थिक उत्थान हुआ है। यह योजना समाज के कमजोर लोगो के आर्थिक उत्थान में मदद करेगा । इसने महिला सशक्तिकरण में भी योगदान दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आने वाले वर्षों में इसका पूर्ण विस्तार करके अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित करना है–

1.6 अध्ययन का उद्देश्यः– शोध अध्ययन के उद्वेश्य निम्नवत है।

- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना द्वारा विभिन्न प्रकार के दिये गये ऋणो का अध्ययन करना।
- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को दिये गये ऋणों का अध्ययन करना।
- प्रधान मंत्री मुद्रा योजना द्वारा समाज के विभिन्न वर्गो दिये गये ऋणो का अध्ययन करना।

1.7 शोध प्रविधिः–

प्रस्तुत शोध पत्र में मुख्यतः द्वितीयक आकड़ो पर आधारित है। द्वितीयक आकड़ों के लिऐ मुख्य रूप से किताबे, विभिन्न जनरल, शोध पत्रों, समाचार पत्रों, भारत सरकार की विभिन्न रिर्पोट व मुद्रा योजना की वेवसाइट ूण्उनकतं ण्वतहण्पद इत्यादि का प्रयोग किया गया है।

1.8 प्रधान मंत्री मुद्रा योजना द्वारा दिये गये ऋणों का विश्लेषण

वित्त विहिन सूक्ष्म उद्यम तथा लघु व्यवसायों के वित्त पोषण हेतु प्रधानमंत्री की फ्लैगशिप मुद्रा योजना ;च्डडल्द्ध ने अपने परिचालन के छः वर्षो के दौरान 29.55 करोड़ सूक्ष्म एवं लघु उद्यम उधारकर्ता खातों में कुल ₹15. 52 लाख करोड़ की संचयी ऋण के रूप में सहायता राशि दी गयी। जिसमे 68 प्रतिशत खाते महिला उधारकर्ता के है। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं को ऋण उनकी प्राथमिकता के आधार पर दिये गये इससे महिलाओं का न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक व राजनैतिक रूप से सशक्त होगी और इससे नीति निर्धारण में अपनी भागेदारी को सुनिश्चित करेगी। 51 प्रतिशत खाते अनुसूचित जाति, जनजाति, और अन्य पिछडी जातियों के है। इन ऋणो के माध्यम से समाज के निर्बल वर्ग की ऋण आवश्यकता की पूरी होगी और वे आर्थिक रूप से शसक्त होगे।[9]

ऋणदात्री संस्थाएँ जिनमे सार्वजनिक क्षेत्र के बैक, निजी क्षेत्र के बैक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैक, लघु वित्त बैक, अल्प वित्त संस्थाऐं तथा गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनियॉ शामिल हैं, ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि अर्जित की है। जैसा चित्र से स्पष्ट है–

Figer No. 1- Target and achievement (2016-15 to 2020-21 (in lakh Crore)

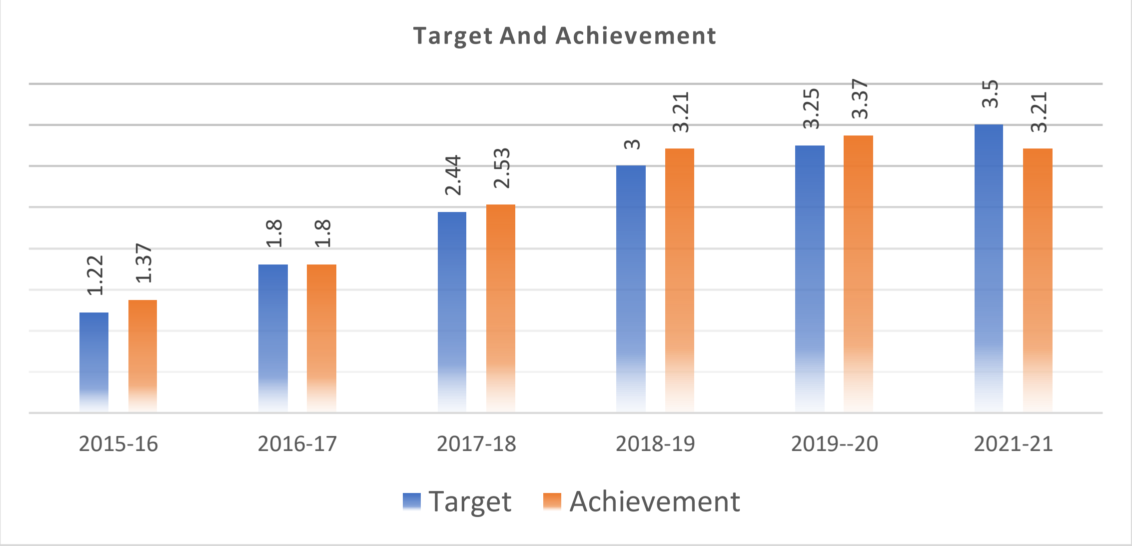

1.9 ऐजेंसी वार उपलब्धिया का विश्लेषण–

भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए पीएमएमवाई के अंतर्गत रू0 3.50 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे विभिन्न ऋणदात्री संस्थाओं, बैकों, अल्प वित्त संस्थाओं तथा एनबीएफसी के बीच देश के विभिन्न भागों व क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति तथा पहुँच के आधार पर आवंटित किया गया था. वर्ष 2020–21 के दौरान लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का श्रेणीवार कार्य निष्पादन निम्नवत रहा है। देखे तालिका न0–1

तालिका न0 1ः ऐजेंसी वार कार्य निष्पादन **(लाख करोड़ में)**

क्षेत्र	**लक्ष्य** 2020.21	**स्वीकृत धन राशि** 2020.21	**स्वीकृत धन राशि** 2019.20	**वृद्वि (:)**
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक सहित)	128500.00	129915.00	117729.00	10 %
निजी क्षेत्र के बैंक (विदेशी बैंको सहित)	91700.00	93613.20	91780.00	02%
लधु वित्त बैंक	29800.00	19646.68	29501.00	33%
अल्प वित्त संस्थाएँ	59200.00	46601.40	57967.00	20%
गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनियॉ	40800.00	31983.17	40518.00	21%
कुल योग	**350000.00**	**321759.00**	**333495.00**	**05%**

स्त्रोतः www.mudra.org.in

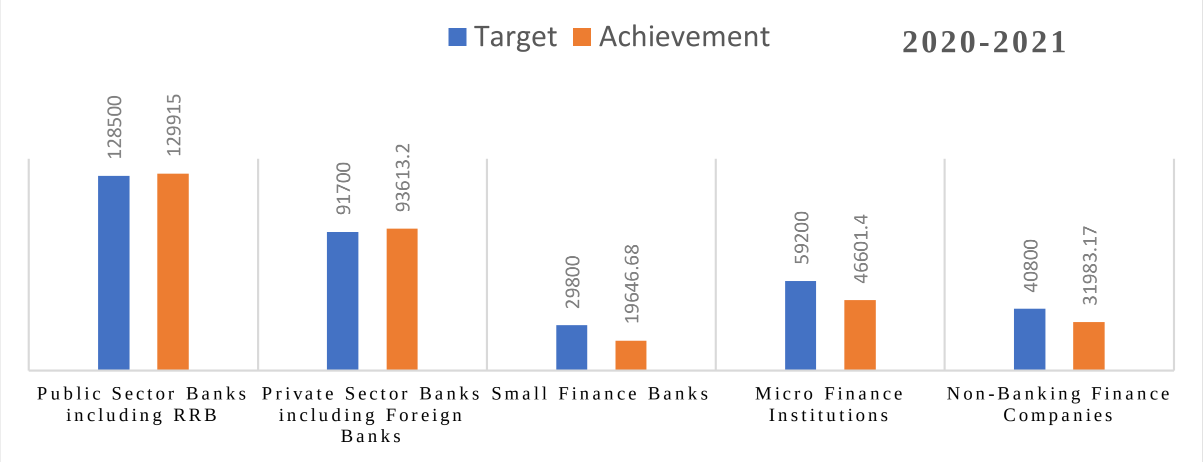

उपलब्ध आँकडों से यह परिलक्षित होता है कि समस्त ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा योजना के समग्र कार्य निष्पादन में विगत वर्षो की तुलना में 5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2020–2021 देश में कोविड की स्थिति के दौरान गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनियॉ और लघु वित्त बैंक के कुल उधारी मे कमी आई। हालांकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण वितरण में निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में वृद्वि देखी गयी।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक 14ण्85 लाख बैंक खातों में ₹ 37973ण्30 करोड़ की मंजूरी के साथ शिर्ष पर रहा। भारतीय स्टेट बैंक के साथ केनरा बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक क्रमशः ₹ 13210 करोड़ तथा ₹11187 करोड़ के साथ द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर रहे।

निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2020.21के दौरान कुल ₹93ए613 करोड़ की मंजूरियाँ दी गई जोकि विगत वर्ष की तुलना में 02 प्रतिशत अधिक है। इसमे मुख्य रूप से सबसे अधिक योगदान बंधन बैंक के साथ इंडसइडं बैंक का रहा। जहॉ ₹32559 के साथ बंधन बैंक पहले स्थान पर तथा ₹32335 इंडसइडं बैंक दुसरे स्थान पर रहा।

लघु वित्तीय संस्थाएॅ ने वित्त वर्ष 2020.21 के दौरान कुल 1ण्40 करोड़ उधार खातों में ₹46ए601ण्40 करोड़ ऋण राशि स्वीकृत किया। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड सबसे अधिक राशि के साथ अग्रणी लघु वित्तीय संसथा बनकर उभरी है। 18 लाख से अधिक उधार खातों में ₹7ए906ण्48 करोड राशि स्वीकृत किया।

एनबीएफसी भी एक प्रमुख उधारकर्ता के रूप में उभरी हैं। इस दैरान गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनियॉ भी प्रधान मंत्री मुद्रा योजना में मुख्य भूमिका निभा रही है। इस श्रेणी में कुल ₹31ए983ण्17 करोड़ राशि को स्वीकृति किया, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा ₹12ए000ण्01 करोड़ राशि स्वीकृति करने के साथ सबसे अधिक योगदान रहा।

लघु वित्त बैंकों ने अपने कुल लक्ष्य का लगभग 66 प्रतिशत हासिल किया। वित्त वर्ष 2020.21 के दौरान कुल 9 लघु वित्त बैंकों ने 43.89 लाख ऋण खातो में कुल ₹19ए646ण्68 की राशि स्वीकृत की गई। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इस तालिका में शीर्ष पर रहा। लघु वित्त बैंकों ने कुल 14ण्89 लाख ऋण खातो में कुल ₹6ए442ण्73 करोड़ राशि स्वीकृत किया।

1ण्10 प्रधान मंत्री मुद्रा ऋणों की श्रेणीवार समीक्षा

मुद्रा ऋणों को आकार के आधार पर तीन श्रेणियों में बॉटा गया है। ये श्रेणियाँ हैं शिशु (₹50ए000 तक), किशोर ₹50ए000 से 5 लाख तक) तथा तरुण (₹5 लाख से 10 लाख तक). पीएमएमवाई की इन तीन श्रेणियों के अंश की समीक्षा नीचे सारणी में दी गई है।

तालिका न0–02: PMMY योजना के अंतर्गत ऋणों की श्रेणीवार विश्लेषण

श्रेणी	कुल ऋणो की संख्या	स्वीकृत धन राशि	कुल ऋणो की संख्या	स्वीकृत धन राशि	प्रतिशत परिवर्तन स्वीकृत धन राशि
	वित्त वर्ष 2020.2021		वित्त वर्ष 2019कृ2020		
शिशु	4,01,80,115 (79%)	1,09,953 (34%)	5,44,90,617 (88%)	1,63,528 (48%)	33%
किशोर	94,86,160 (19%)	1,32,516 (41%)	64,71873 (10%)	95578 (28%)	39%
तरूण	10,68,771 (02%)	79,290 (25%)	12,85,116 (02%)	78,358 (24%)	01%
योग	**5,07,35,046**	**3,21,759**	**6,22,47,606**	**3,37,495**	**05%**

स्त्रोत– www.mudra.org.in

तीनों श्रेणियों में 80 प्रतिशत खाते शिशु ऋणों के अंतर्गत हैं, जबकि 2019.20 में यह 88 प्रतिशत था। कुल स्वीकृत ऋणो मे शिशु ऋण का हिस्सा 34 प्रतिशत है। जहॉ 2020.21 शिशु ऋण के तहत कुल स्वाकृत ऋण ₹1ए09ए953 लाख करोड है; जो विगत वर्ष 2019.20 कोविड़ के प्रभाव के कारण ₹1ए63ए528 लाख करोड़ की तुलना में 33 प्रतिशत का कमी आई। इसी प्रकार किशोर ऋण के खाते जो कुल खतों का लगभग 19 प्रतिशत है। इसके तहत कुल स्वाकृत ऋण ₹1ए32ए516 लाख करोड़ है। जो विगत वर्ष 2019.20 मे कुल ₹95578 हजार करोड़ की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक है। तरूण ऋण के खाते जो कुल खतों का मात्र 02 प्रतिशत है। इसके तहत कुल स्वाकृत ऋण ₹79290 हजार करोड़ है। जो विगत वर्ष 2019.20 मे कुल ₹78358 हजार करोड़ की तुलना में 01 प्रतिशत अधिक है।

1.11 प्रधान मत्री मुद्रा से समाज के कमजोर वर्गों को स्वीकृत कुल ऋण–

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत, आरम्भ से ही, समाज के कमजोर वर्गों को उत्पादन शील वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर बल दिया जाता रहा है. अनसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडी जातियों, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों जैसी उधारकर्ता उप श्रेणियों को मुद्रा योजना की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रदत्त सहायता की समीक्षा की गई है तथा इसका विवरण नीचे दिया गया। देखे तालिका न0–3

तालिका न0–3 : प्रधान मत्री मुद्रा से समाज के कमजोर वर्गों को स्वीकृत ऋण– 2020–21

वर्ग	शिशु		किशोर		तरून		कुल योग	
	खातो की संख्या	धन राशि	खातो की संख्या	धन राशि	खातो की संख्या	धन राशि	खातो की संख्या	धन राशि
सामान्य	**1,91,09,271**	**52,164**	**58,33,669**	**94,426**	**9,21,759**	**69,353**	**2,58,64,699 (51%)**	**2,15,942 (67%)**
अनसूचित जाति	**73,34,828**	**19,714**	**10,38,947**	**9,430**	**24,642**	**1,680**	**83,98,417 (17%)**	**30,824 (10%}**
अनुसूचित जनजाति	**26,62,727**	**7,218**	**4,43,598**	**4,344**	**16,957**	**1,168**	**31,23,282 (6%)**	**12,730 (4%)**
अन्य पिछडी जातियों	**1,10,73,289**	**30,857**	**21,69,946**	**24,317**	**1,05,413**	**7,089**	**1,33,48,648 (26%)**	**62,263 (19%)**
कुल योग	**4,01,80,115**	**1,09,953**	**94,86,160**	**1,32,516**	**10,68,771**	**79,290**	**5,07,35,046**	**3,21,759**
उर्पयुक्त मे से								
महिलाऍ	**2,77,53,288**	**74,490**	**54,68,211**	**50,731**	**82,105**	**6,082**	**3,33,03,604 (66%)**	**1,31,303 (41%)**
नवउद्यमी खाते	**56,18,675**	**13,439**	**16,54,007**	**34,562**	**4,67,899**	**35,336**	**77,40,581 (15%)**	**83,337 (26%)**
अल्पसंख्यक	**28,83,587**	**8,004**	**12,38,860**	**15,260**	**49,614**	**3,653**	**41,72,061 (8%)**	**26,917 (8%)**

स्त्रोत& www.mudra.org.in **नोट–कोष्ठक में दिये गये आँकडे अंश का प्रतिशत दर्शाते हैं**

शिशु श्रेणी के तहत खोले गये खातो मे लगभग 66 प्रतिशत खाते महिलाओं के थे जिन्हें शिशु श्रेणी के तहत कुल स्वीकृत धन राशि का 41 प्रतिशत हिस्सा स्वीकृत किया गया। शिशु श्रेणी के अंतर्गत महिलाओं का हिस्सा अधिक होने का कारण यह है कि अल्प वित्त संस्थाएँ अधिकांशतः महिलाओं को ही ऋण उपलब्ध कराती है। पीएमएमवाई कार्यक्रम में समाज के कमजोर वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडी जाति) उधारकर्ताओं का हिस्सा ऋण खातों की दृष्टि से 49 प्रतिशत तथा संस्वीकृत धन राशि की दृष्टि से 33 प्रतिशत रहा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडी जातियों के उधारकर्ताओं का अंश स्वीकृत ऋण खातों की संख्या की दृष्टि से क्रमशः 17ए 6ः तथा 26ः रहा। जिन्हें कुल स्वीकृत ऋणों का 10ए 4 ः तथा 19ः रहा।

पीएमएमवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020.21 के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणी के उधारकर्ताओं का हिस्सा खातों की संख्या तथा स्वीकृत धन राशि की दृष्टि से क्रमशः दोनो 8ः तथा 8ः रहा। देखे तालिका न0–3

प्रधान मंत्री मुद्रा औसत ऋण आकारः

पीएमएमवाई के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में प्रदत्त ऋण की औसत धन राशि का आकार निम्नवत हैः (देखे तालिका न0–4)

तालिका न0 4

औसत ऋण आकार **(₹करोड मे)**

	स्वीकृत धन राशि		ऋण खातो की संख्या		औसत ऋण आकार	
वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
कुल योग	**3,37,496**	**3,21,722**	**6,22,47,606**	**5,07,35,046**	**54,218.31**	**63,412.18**

स्त्रोत– ूण्उनकतंण्वतहण्पद

_पीएमएमवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान औसत ऋण आकार विगत वर्ष की तुलना मे ₹54ए218 से बढकर ₹63ए412 हो गया। इसी तरह, शिशु तथा किशोर श्रेणी के अंतर्गत औसत ऋण आकार मे विगत वर्ष की तुलना में 16 ः की वृद्वि पायी गयी।

इस प्रकार ऋण खातों की संख्या जो वित्त वर्ष 2020.21 मे ₹ 5ए07ए35ए046 करोड़ थी जो विगत वर्ष की तुलना ₹ 6ए22ए47ए606 कारोड़ थी। जो वित्त वर्ष 2019.20 से 18ः की कम थी। इस कमी का मुख्य कारण कोविड की स्थिति के दौरान गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनियॉ और लधु वित्त बैंक के कुल खातो मे कमी आई।

पीएमएमवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020.21 के दौरान कुल स्वीकृत धन राशि में कमी आई है। 2019.20 मे कुल स्वीकृत धन राशि ₹ 3ए37ए496 करोड़ थी 2020.21 में घटकर ₹ 3ए21ए722 लाख करोड रह गयी जो विगत वर्ष 2019.20 की तुलना में लगभग 5ः की कम थी।

कमजोरियां (Weaknesses):-

- मुद्रा बैंक की भूमिकाओं की प्रकृति और जिम्मेदारियों के कारण हितों के टकराव की संभावना हो सकती है।
- शैडो बैंकिंग का प्रचार हो सकता है।
- एमएफआई के लिए कई नियामक हो सकते हैं।
- योजना के बारे में अनभिज्ञता है।

अवसर (Opportunities): -

- ➢ रोजगार सृजन पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है
- ➢ खेतों और कारखानों के अलावा व्यक्तिगत क्षेत्र के लिए योजना का विस्तार किया जा सकता है।
- ➢ एमएफआई के साथ और अधिक सहयोग हो सकता है।
- ➢ महिला उद्यमियों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है और इसे योजना से जोड़ा जा सकता है।
- ➢ सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के वित्तपोषण के लिए एक बेहतर समाधान हो सकता है।
- ➢ पहले से ही कई मौजूदा पुनर्वित्त एजेंसियां हैं।
- ➢ परिवर्तनीय ब्याज दरों के कारण भ्रम की स्थिति हो सकती है।

अनुशंसाएँ (Recommendations):-

- मुद्रा ऋण से लाभ उठाने वाले लोगों को एक कौशल विकास प्रशिक्षण की आवश्यकता है इससे लोन लेने वाले लोगों को कॉफी लाभ होगा।
- अनुमोदित ऋणों में से अधिकांश शिशु श्रेणी में हैं। किशोर और तरुण ऋण खातों को अधिक से अधिक मात्रा मे बढ़ाया जाना चाहिए। इससे अधिक मात्रा मे रोजगार पैदा होगा और विकास की गति को बढावां मिलेगा।
- मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है, जो मुद्रा ऋण खाते से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई व्यक्तियों को मुद्रा कार्ड के बारे में पता ही नही है। अतः एक मुद्रा कार्ड जागरूकता अभियान चलाकर व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार करने की जरूरत है।
- योजना को खेतों और कारखानों के अलावा व्यक्तिगत क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है। वे 50,000 रुपये से कम की लोन फंडिंग शुरू कर सकते हैं ताकि 0– 50 लाख के अंतर को पूरा किया जा सके।
- अल्पसंख्यक क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- भविष्य में मुद्रा कार्ड का अधिक गहनता से उपयोग किया जा सकता है।
- महिला उद्यमियों को उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष–

निष्कर्ष अध्ययन ने निष्कर्ष निकलता है कि भारत सरकार द्वारा की गई एक महान पहल है। इसके कारण, सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। यह योजना कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और गैर–वित्त पोषित आबादी की मदद करेगी और प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाएगी। च्डडल के माध्यम से वित्तीय समावेशन ऋण आवश्यकता और पुनर्वित्त के अवसरों को बढ़ाता है। अन्य प्रकार की वित्तीय समावेशन पहल के साथ राष्ट्रीय योजना च्डडल की शुरूआत, लाभकारी परिणाम। पीएमएमवाई कॉन्सपायर हमारे देश को भविष्य में आगे ले जाने के लिए निश्चित है। पीएमएमवाई के तहत महिलाओं के वित्तपोषण के लिए एमएफआई ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसका मानना है कि इस योजना के जारी होने से आर्थिक महत्व सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ गया है। तो यह कहा जा सकता है कि इसे ठीक से लागू किया गया है, यह एक गेम चेंजिंग फाइनेंशियल के रूप में काम कर सकता है। भारत सरकार की समावेशन पहल और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकती है

References.

1. सुनीता शर्मा और रुचि गुप्ता, (2021), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, 3(2), 95—101.
2. अग्रवाल, एम., और द्विवेदी, आर. (2017), प्रधानमंत्री मुद्रा योजनाः एक आलोचनात्मक समीक्षा, परी कल्पनाः केआईआईटी जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, 13(2), 97—106
3. जॉर्ज, बी और नलिनी, जे. (2018), एमएसएमई के विकास में मुद्रा बैंक की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट इन्वेंशन, 7(2), 59—62.
4. शाहिद, एम., और इरशाद, एम. (2016), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) पर एक वर्णनात्मक अध्ययन। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में नवीनतम रुझानों का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल विशेष अंक, 7(2), 121—12
5. महाजन, ए. (2018), पीएमएमवाई के तहत मुद्रा योजना के प्रदर्शन और प्रभाव का विश्लेषण, प्रबंधन विज्ञान अनुसंधान जर्नल, 7(3), 1—5
6. सीमा (2015) मुद्राः माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, इंटरनेशनल जर्नल इन कॉमर्स, आईटी एंड सोशल साइंसेज, 2(10), 23—32.
7. प्रकाश, एम., और देवकी, बी. (2018), तमिलनाडु में मुद्रा के प्रदर्शन पर एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 2(5), 133—136.
8. लाल, ए.आर. (2018)। उत्तराखंड में मुद्रा योजना के महत्वपूर्ण विश्लेषण पर एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस एंड इकोनॉमिक रिसर्च, 03(07), 1—15
9. जॉर्ज, बी और नलिनी, जे.(2018), एमएसएमई के विकास में मुद्रा बैंक की भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट इन्वेंशन, 7(2), 59—62
10. जुलियाना सैरा जॉन, निकिता काबरा और सांचिया मारिया जोस। (2018), कर्नाटक में मुद्रा प्रदर्शन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज (प्श्र्त।त्), 5(4), 277—287.
11. रुद्रवार, एम.ए.ए., और उत्तरवार, वी.आर.(2016) मुद्रा योजना का एक मूल्यांकन अध्ययन, बहुआयामी और बहुभाषी अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 6(2), 234—276.
12. अजीत कुमार साहू, पी. आर. (2019), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का प्रदर्शनः हरियाणा का एक केस स्टडी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस, 9(5),1—17.
13. गौतम, वी., कुमार, पी., और गोपाल, के.(2017), मुद्रा के प्रदर्शन का विश्लेषण करें। इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, 5(6), 72—77.
14. रेशमा राज, एस.के. (2019) मुद्रा ऋण के विशिष्ट संदर्भ में लघु व्यवसाय उद्यमियों को ऋण सुविधाएं प्राप्त करने में आने वाली समस्याएं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरिंग इंजीनियरिंग (आईजेआईटीईई), 8(6२), 1—6.
15. भुवना आर., और ऐथल, पी.एस. (2020) आरबीआई ने वितरित लेजर प्रौद्योगिकी और ब्लॉक श्रृंखला — विकेंद्रीकृत भारत का भविष्य, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, एंड सोशल साइंसेज (आईजेएमटीएस), 5(1), 227—237
16. रघु राम राजनए I Do What I क्वए आईएसबीएनः 978—93—5277—455—5, हार्पर बिजनेस ए—75, सेक्टर—57, नोएडा, यूपी
17. www.mudra.org.in